खादी और ग्रामोद्योग आयोग

स्फूर्ति निदेशालय

सं. SFURTI/Min. Corres/19-20/278 दिनांकः 19.07.2019

केवीआईसी के अंतर्गत सभी क्षेत्रीय कार्यालय

विषय: स्फूर्ति के तहत स्थायी आदेश संख्या: 1764 दिनांक: 12.7.2019 के संबंध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि स्फूर्ति निदेशालय, केवीआईसी, मुंबई ने स्थायी आदेश संख्या 1764 दिनांक: 12.7.2019 के रूप में व्याख्यात्मक प्रक्रियात्मक निर्देश जारी किए हैं। उपर्युक्त स्थायी आदेश एमएसएमई मंत्रालय के संख्या 4/4/2017-केवीआई –I दिनांक: 27.6.2018 द्वारा जारी नए स्फूर्ति दिशानिर्देशों पर आधारित है।

इसके अतिरिक्त केवीआईसी के पदाधिकारियों की जानकारी हेतु स्फूर्ति योजना के तहत नए क्लस्टर लगाने के लिए पात्र मानदंड और प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी, क्लस्टर के प्रकार, क्लस्टर के लिए प्रदत्त वित्तीय सहायता और स्वीकृति की प्रक्रिया इत्यादि तैयार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त केवीआईसी द्वारा सूचीबद्ध तकनीकी एजेंसियों की सूची के साथ टेम्प्लेट 1 (ए) और 1 (बी) जैसे आवश्यक टेम्प्लेट भी जानकारी के लिए उक्त स्थायी आदेश के साथ संलग्न है।

इसके अतिरिक्त, आपको ध्यान दिलाना है कि स्फूर्ति के तहत निर्धारित किए गए विशाल लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, स्फूर्ति निदेशालय ने 13-7-2019 को स्फूर्ति के तहत आवेदन / प्रस्ताव आमंत्रित करते हुए एक विज्ञापन जारी किया है और इस संबंध में पहले ही आपके कार्यालयों को अधिक संख्या में व्यवहार्य क्लस्टर प्रस्ताव जुटाने के अनुरोध के साथ पत्र दिनांक: 11-7-2019 द्वारा सूचित कर दिया गया है।

तथापि, एक बार फिर से आपका ध्यान आकर्षित करने और अपने क्षेत्र के तहत उपयुक्त और व्यवहार्य क्लस्टर की पहचान करने का अनुरोध किया जाता है। कृपया आपके कार्यालय में प्राप्त और प्रक्रियाधीन क्लस्टरों तथा निकट भविष्य में अपेक्षित नए प्रस्तावों की संख्या कि जानकारी उपलब्ध कराए, ताकि सक्षम प्राधिकारी को सूचित किया जा सके।

आपकी तत्काल कार्रवाई की मांग की जाती है।

यह आपकी जानकारी के लिए है।

भवदीय,

संलग्नक: यथोपरि।

उप निदेशक प्रभारी (स्फूर्ति)

सं. स्फूर्ति/स्थायी आदेश/2019-20 दिनांक: 12.07.2019

स्थायी आदेश सं. 1764

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्रांकः4/4/2017-KVI-1 दिनाँक: 27 जून 2018 द्वारा पारम्परिक उद्योग के पुनः सृजन हेतु निधि की योजना (स्फूर्ति) के दिशानिर्देशों के अनुमोदन को संप्रेषित किया है।

2. स्फूर्ति के अर्तगत प्राप्त प्रस्तावों की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के उपरोक्त दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए सूक्ष्म जाँच, मंजूरी और क्रियान्वयन किया जाएगा। प्रस्तावों को अग्रेषित करते समय राज्य/मंडलीय निदेशक/तकनीकी अभिकरण (टी.ए.) सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्ताव अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार हो।

3. दिशानिर्देश के खण्ड 4.5 के अंतर्गत इस बात पर जोर दिया गया है कि क्रियान्वयी अभिकरणों का चयन पारदर्शी मानकों का अनुसरण करते हुए उनकी प्रतिष्ठा, साख तथा खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में जमीनी स्तर पर कार्य करने के उनके अनुभव के आधार पर नोडल एजेंसी (एन.ए.) द्वारा किया जाएगा।

4. स्फूर्ति के अंतर्गत क्लस्टर के क्रियान्वयन हेतु क्रियान्वयी एजेंसी के चयन के लिए खादी और ग्रामाद्योग आयोग द्वारा अपनाई गई पारदर्शी प्रक्रिया और मानक को स्थायी आदेश सं. 1737 दिनाँक 25.05.2015 द्वारा परिचालित किया गया था। व्यवसाय करने में आसानी, योजना को सरल, सुगम्य, पारदर्शी बनाना, आसानी से निगरानी करने में सक्षम और डीबीटी का अनुपालन करने के हिस्से के तौर पर स्टेक होल्डर, राज्य सरकार के साथ विधिवत परामर्श के पश्चात सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संशोधित स्फूर्ति दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया, सूक्ष्म जाँच की प्रक्रिया लेयर को छोटा करने के लिए निर्धारित पद्धति में संशोधन करने का निर्णय लिया गया, ताकि क्लस्टर प्रस्तावो को शीघ्र निबटाया जा सके। स्थायी आदेश सं0- 1737 दिनाँक 25.05.2015 के अधिक्रमण में, स्फूर्ति के अंतर्गत क्लस्टर के क्रियान्वयन हेतु क्रियान्वयन एजेंसी के चयन के लिए व्याख्यात्मक प्रक्रियात्मक निर्देश/दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं:

चरण-I क्लस्टर की पहचान हेतु प्रक्रियाः

ए) भावी एजेंसियों से प्रस्ताव मंगवाना-

(i) **वेबसाईट के माध्यम से-** स्फूर्ति निदेशालय खादी और ग्रामोद्योग आयोग की अधिकारिक वेबसाइट पर योजना दिशानिर्देश को अपलोड करेगा और भावी योग्य एजेंसियां संबन्धित राज्य/ मंडलीय कार्यालय, खादी

ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) को निर्धारिम प्रपत्र में {टेम्पलेट I (ए) एवं (बी)} में आवेदन कर सकते हैं । निकट भविष्य में ऑनलाइन के माध्यम से भी आवेदन शुरू करने हेतु विचार किया जा रहा है। तथापि, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने तक योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन जारी रहेगा।

(II) **तकनीकी एजेंसियों के माध्यम से**:- तकनीकी एजेंसियां भी स्फूर्ति के अंतर्गत क्लस्टर के क्रियावन्यन हेतु भावी क्रियान्वयन एजेंसियों की पहचान करके खादी और ग्रामोद्योग आयोग के संबन्धित राज्य/मंडलीय कार्यालय को प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है।

(बी) भावी क्लस्टरों की सूची तैयार करनाः-

स्फूर्ति निदेशालय ने पत्रांक: स्फूर्ति/न्यू क्लस्टर/1/वॉल्यूम-5/2014-15 दिनाँक 20.08.2014 के द्वारा सभी राज्य/ मंडलीय निदेशकों को दिशानिर्देश के खण्ड 5..2 के अनुसार राज्य सरकार, जिला प्रशासन एवं स्थानीय पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के परामर्श से सम्भावी क्लस्टरों की एक राज्य - वार सूची तैयार करने हेतु सूचित किया। उसको परिपत्र सं0 स्फूर्ति/न्यू क्लस्टर/XII प्लान/2015-16 दिनाँक 20.04.2015 एवं 30 अप्रैल 2015 द्वारा दोहराया गया तथा राज्य/मडलीय निदेशकों को राज्य/ जिला में सम्भावी क्लस्टर की पहचान करने के लिए राज्य/ जिला- वार प्रोफाईल तैयार करने की सलाह दी गई। खादी एवं ग्रामोद्योगी उत्पादों, दूसरे पारंपरिक उत्पादों और बहु उत्पादों पर केन्द्रित क्लस्टरों को वरीयता दी जाएगी।

(सी) प्रस्तावों की प्रस्तुती-

भावी क्रियान्वयन एजेंसियों को निर्धारित प्रपत्र अर्थात टेम्पलेट-I (ए) एव (बी) (इस आदेश के साथ संलग्न एवं खादी ग्रामोद्योग वेबसाईट पर भी उपलब्ध) में प्रस्ताव संबधित राज्य/मंडलीय कार्यालय को प्रस्तुत करना पडेगा।

चरण-II: प्रस्तावों की सूक्ष्म जाँचः

1. क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर-

राज्य/मंडलीय कार्यालय टेम्पलेट -I (ए) एवं I (बी) में कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों की सूक्ष्म जाँच करेंगे। उसके पश्चात राज्य/मंडलीय निदेशक आंचलिक उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अनुमोदन से प्रस्ताव को विधिवत प्रमाणित/सत्यापित एवं सिफारिश करते हुए टेम्पलेट-II में आवश्यक जानकारी भरेगा। इसके अतिरिक्त, राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति (एसएलएससी) के समक्ष क्लस्टर का प्रस्ताव रखने तथा मूल्यांकन/प्रमाणन/सत्यापन करते समय निम्नलिखित मानक, प्रक्रिया, मानदंड एवं दिशानिर्देशों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए:

ए) कार्यान्वयन एजेंसियो के चयन हेतु मानदण्डः

(1) कार्यान्वयन एजेंसी खादी ग्रामोद्योग आयोग/ राज्य की खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की एक सीधी सहायता प्राप्त संस्था या गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) केंन्द्रीय एवं राज्य सरकार की संस्थाए, अर्ध सरकारी संस्थाएं, राज्य एवं केन्द्रीय सरकार के क्षेत्रीय पदाधिकारी, पंचायती राज संस्थाए (पी आर आई) एवं सार्वजनिक एवं निजी सेक्टर के कारपोरेट होंगे।

(2) कार्यान्वयन एजेंसी के पास खादी, कॉटेज एवं लघु उद्योग में ग्रामीण/खादी एवं ग्रामोद्योगी गतिविधियों में क्लस्टर विकास कार्यक्रम करने हेतु उपयुक्त अनुभव और विषेशज्ञता होनी चाहिए तथा खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादों के निर्माण, उत्पादन एवं ब्रिकी में प्रत्यक्ष अनुभव रखने वाली कार्यान्वयन एजेंसी को वरीयता दी जायेगी।

3) खादी क्लस्टर के मामले में, कार्यान्वयन एजेंसी को खादी कार्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित होना चाहिए और एक संयुक्त क्रम अर्थात खादी के कताई, बुनाई और विपणन में खादी कार्यक्रम के क्रियान्वयन में लगा होना चाहिए तथा संस्था विद्यमान कारीगरों के अतिरिक्त रेगुलर क्लस्टर के लिए 500 कारीगर तथा मेजर क्लस्टर के लिए 500 से अधिक कारीगरों को पंजीकृत करने का इच्छुक और स्थिति में होना चाहिए।

4) कार्यान्वयन एजेंसी के पास क्षेत्रीय प्रतिष्ठा, साख तथा जमीनी स्तर पर कार्य करने का अनुभव होना चाहिए और इसलिए, कार्यान्वयन एजेंसी पर कोई ऑडिट आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

5) निजी क्षेत्र सहभागिता को भी क्लस्टर प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कॉर्पोरेट इकाइयां भी एसपीवी विशिष्ट क्लस्टर का गठन करके प्रत्यक्ष तौर पर प्रोजेक्ट ले सकती हैं।क्लस्टर विकास में विशेषज्ञता के साथ कॉर्पोरेट एवं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पान्सबिलिटी (सीएसआर) फाउंडेशन को कार्यान्वयन एजेंसी के तौर पर सहभागिता करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। ऐसे मामले में, जहाँ एक निजी क्षेत्र इकाई कार्यान्वयन एजेंसी है, उनकी हिस्सेदारी कुल इक्विटि का 50% से अधिक नहीं रहेगी।

6) कार्यान्वयन एजेंसी यूएनआईडीओ या ईडीआई, अहमदाबाद, एनआई एमएसएमई, हैदराबाद, सीबीआरटीआई, पुणे, सीजीसीआरआई, सीएफटीआरटी इत्यादि जैसे अन्य राष्ट्र स्तरीय संस्थाओं द्वारा क्लस्टर विकास में कर्मचारियो का प्रशिक्षण सुनिश्चित करेंगें।

7) प्राथमिकता तौर पर, कार्यान्वयन एजेंसी क्लस्टर क्षेत्र के संबधित जिला में स्थित होना चाहिए और क्लस्टर के संचालन के क्षेत्र में कार्य करना चाहिए।

8) कार्यान्वयन एजेंसी के पास विपणन, निर्यात, वित्त, एचआरडी, प्रौद्योगिकी इत्यादि से संबन्धित सेवाएँ प्रदाताओं के साथ लिंक करके बिज़नेस डेवलपमेंट सर्विस (बीडीएस) को सुसाध्य करने का अनुभव होना चाहिए।

9) चयनित क्लस्टर में कारीगरों की संख्या होगी:

क्लस्टर का प्रकार	**कारीगरों की संख्या**
ए) रेग्युलर क्लस्टर	500 तक कारीगर
बी) मेजर क्लस्टर	500 से अधिक कारीगर*
*न्यूनतम 803 कारीगर, परंतु कारीगरों की अधिकतम संख्या के लिए प्रोत्साहित करें।	

10) कार्यान्वयन एजेंसी के पास सीएफसी के निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि की व्यवस्था तथा क्लस्टर की स्वीकृति के तुरंत पश्चात कार्यान्वयन एजेंसी शेयर अंशदान करने हेतु अच्छी वित्तीय स्थिति होनी चाहिए।इसे पिछले 3 वर्ष इत्यादि के उनके अंकेक्षित बैलेंस शीट से सत्यापित किया जाए।

11) प्रोजेक्ट लागत : (नोडल एजेंसी (एन.ए.) एवं कार्यान्वयन एजेंसी (आई.ए.) शेयर)

नोडल एजेंसी (एन.ए.) शेयर	**कार्यान्वयन एजेंसी (आई.ए.) शेयर**
हार्ड इंटरवेनशन का 90%	हार्ड इंटरवेनशन का 10% नगद में जमीन लीज़ पर लिए जाने के मामले में, न्यूनतम अवधि 15 वर्ष की होनी चाहिए। लीज़ दस्तावेजों को राजस्व प्राधिकारी से पंजीकृत करवाना होगा।
हार्ड इंटरवेनशन का 90%	पूर्वोत्तर राज्यों/जम्मू एवं कश्मीर/पहाड़ी राज्यों के मामले में हार्ड इंटरवेनशन का 05% नगद में

12) यह आई.ए. का उत्तरदायित्व होगा कि जमीन किसी भी बाधा से मुक्त हो। योजना निधि का उपयोग जमीन खरीदने के लिए नहीं किया जाएगा। जमीन की लागत को हार्ड इंटरवेनशन की कुल लागत में शामिल नहीं किया जाएगा।

13) विशेष प्रयोजन अभिकरण (एस.पी.वी.) -क्रियान्वयी एजेंन्सी द्वारा हार्ड इंटरवेनशन हेतु अंतिम अनुमोदन पाने के लिए एस.पी.वी का गठन और पंजीकरण अनिवार्य है। एस.पी. वी. का उद्देश्य प्रोजेक्ट क्रियान्वयन अवधि समाप्त होने के पश्चात क्लस्टर का विकास करना और बनाए रखना होगा। एस.पी.वी. प्रत्येक क्लस्टर के लिए गठित किया जाएगा, जो निम्नलिखित संस्थाओं में से कोई हो सकता हैः

i. सोसायटी (पंजीकरण) एक्ट, 1860 के अर्तगत एक पंजीकृत सोसायटी;

ii. एक उपयुक्त कानून के अंतर्गत एक सहकारी सोसायटी;

iii. कम्पनी एक्ट, 2013 (2013 का 18) के सेक्शन- 465(1) के अर्तगत एक उत्पादक कम्पनी;

iv. कम्पनी एक्ट, 2013 (2013 का 18) के अंर्तगत एक सेक्शन-8 कम्पनी;

v. एक न्यास; या

vi. एस.एस. सी. के पूर्व अनुमोदन से कोई अन्य कानूनी सोसायटी।

13(ए) वर्तमान खादी और ग्रामोद्योगी (केवीआई) संस्था एवं अन्य कानूनी सोसायटी एक डिम्ड एस.पी.वी. होगी, यदि इसकी प्रबन्धक समिति, जो भी नाम हो, के पास कारीगरों का फेयर प्रतिनिधित्व (कम से कम 33%) है।

(बी) यदि पीआरआई क्लस्टर स्तर पर आई.ए. बनने का इच्छुक है, तो वह एक एसपीवी का गठन कर सकता है यह सुनिश्चित करते हुए कि एसपीवी में क्लस्टर सूक्ष्म-उद्योग/लाभार्थियों के पास कुल इक्विटी का न्यूनतम 33% है।

(सी) निजी क्षेत्र में एसपीवी को बढ़ावा देने के मामले में प्रमुख निवेशक/निजी साझेदार की शेयरधारिता सामान्यतः कुल इक्विटी के 50% से अधिक नहीं होगी ।

14) आई.ए. को क्लस्टर का आवंटन-एक क्लस्टर से अधिक नहीं जब तक यह राज्यव्यापी कवरेज वाली एक एजेंसी नहीं हो जाती है, तब तक एक से अधिक क्लस्टर नहीं।

15) पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू एवं कश्मीर तथा पहाडी राज्यों मे स्थित कम से कम 10 प्रतिशत के साथ देश भर में क्लस्टर का भैगोलिक वितरण। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में क्लस्टरों को वरीयता दी जाएगी।

16) आई.ए. सीएफसी की देखभाल हेतु एक करी समिति का गठन करेगी यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्फूर्ति के तहत अनुदान से सृजित सुविधाएं और अधोसंरचना उत्पादन एवं विपणन को सुधारने हेतु कारीगरों के लाभ का प्रबंधन करने हेतु संवहनीय है।

17) कार्यान्वयी अभिकरण निम्नलिखित को मिलाकर प्रत्येक क्लस्टर हेतु एक करी समिति का गठन करेगी:

i. कार्यान्वयी अभिकरण के मुख्य पदाधिकारी- संयोजक

ii. क्षेत्र में संचालित राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतिनिधि

iii. वार्षिक रोटेशन आधार पर कार्यान्वयी अभिकरण द्वारा नामित तीन कारीगर (कम से कम एक महिला सहित), 5 वर्षों

में पुनः नामांकन की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

Iv. नोडल एजेंसी का प्रतिनिधि तथा

v. जी. एम., डीआईसी या उनका प्रतिनिधि

18) प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने तथा विभिन्न क्लस्टर स्टेकहोल्डरों की भागीदारी के स्तर की वृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्यान्वयन एजेंसी (आई.ए.) पंचायती राज संस्थाओं, पारंपरिक उद्योग उद्यमों, सहायता सेवा संस्थाओं, बैंकों इत्यादि के प्रतिनिधित्व के साथ प्रमुखतया जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक क्लस्टर सलाहकार समूह (सीएजी) का गठन करेगी।

19) जो खादी संस्था /एन. जी. ओ./ग्रामोद्योगी संस्था ने स्फूर्ति/ केआरडीपी के अंतर्गत क्लस्टर कार्यक्रम का लाभ पहले ही उठा चुका है वह स्फूर्ति कार्यक्रम के अंर्तगत आवेदन करने का पात्र नहीं होगा।

बी) राज्य/मंडलीय कार्यालयों को भौतिक सत्यापन करवाकर टेम्पलेट-I (ए) एवं I(बी) में उपलब्ध सूचना/ डाटा को प्रमाणित और सत्यापित करना चाहिए तथा आदेश संख्या- स्फूर्ति/न्यू क्लस्टर/जन. /2014दिनाँक 13.10.2014 के अनुसार संबधित राज्य के उद्योग कमिश्नर /निदेशक, उद्योग की अध्यक्षता में निम्नलिखित सदस्यों को मिलाकर राज्य स्तरीय स्क्रीनिग समिति (एसएलएससी) के समक्ष राज्य / मंडलीय निदेशक के साथ -साथ आंचलिक उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा विधिवत अनुशंसित निर्धारित प्रपत्र अर्थात टेम्पलेट –II में प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

1. उद्योग कमिश्नर /निदेशक, उद्योग : अध्यक्ष
2. महाप्रंबधक, नाबार्ड/प्रतिनिधि : सदस्य
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी खादी ग्रामोद्योग बोर्ड : सदस्य
4. राज्य के लीड बैंक के राज्य स्तरीय मैनेजर : सदस्य
5. कॉयर बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी : सदस्य
6. राज्य/ मंडलीय निदेशक, खादी ग्रामोद्योग आयोग : सदस्य/संयोजक

i) एस. एल.एस.सी. की संस्तुति पर, राज्य/मंडलीय निदेशक खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा पैनल में शामिल किये गये तकनीकी एजेंसियों को तुरंत जाँच पड़ताल अध्ययन रिपोर्ट (डीएसआर) /प्रारम्भिक

प्रोजेक्ट रिपोर्ट (पीपीआर) की तैयारी का कार्य सौंपने के लिए सशक्त/ प्राधिकृत हैं (तकनीकी एजेंसियों की सूची खादी ग्रामोद्योग आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होने के साथ साथ **अनुलग्नक-I** के तौर पर इस आदेश के साथ संलग्न है)।

ii) तकनीकी एजेंसी से 30 से 45 दिन के अन्दर डीएसआर/पीपीआर प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। सबन्धित राज्य/ मंडलीय निदेशक समय सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करें तथा सुनिश्चित करें कि आई.ए कार्य पूरा करने हेतु तकनीकी एजेंसी को सहायता प्रदान कर रही है।

iii) केंद्रीय कार्यालय के लिए प्रस्ताव की संस्तुति:

तकनीकी एजेंसी से डीएसआर/पीपीआर प्राप्त होने पर, राज्य/मंडलीय कार्यालय निम्नलिखित कागजातों के साथ उसे स्फूर्ति निदेशालय को अग्रेषित करेगाः-

ए) आधार नंबर, बैंक खाता, फोटो इत्यादि सहित कारीगरों की सूची के साथ डीएसआर/पीपीआर पर राज्य/मंडलीय निदेशक की टिप्पणी एवं विचार।

बी) राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति (एसएलएससी) का कार्यवृत्त,

सी) क्षेत्रीय कार्यालय की भौतिक सत्यापन/संभाव्यता रिपोर्ट।

डी) आंचलिक उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा विधिवत अनुशंसित टेम्पलेट-I (ए) एवं I (बी) तथा टेम्पलेट-II

ई) कार्यान्वयी अभिकरण का पिछले 3 वर्षों का अंकेक्षित/वित्तीय विवरण

एफ) खरीदने या 15 वर्षों हेतु लीज पर सीएफसी निर्माण के लिए किसी भी बढ़ा से मुक्त जमीन पंजीकरण दस्तावेजों की प्रति।

जी) चेक लिस्ट (**अनुलग्नक-II** के तौर पर संलग्न)

2.केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर-

स्फूर्ति निदेशालय क्लस्टर प्रस्ताव की संस्तुति और विचार विमर्श हेतु निम्नलिखित सदस्यों को मिलाकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग समिति के समक्ष डीएसआर/पीपीआर एवं मूंल्याकन पत्र के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा:

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग : अध्यक्ष
2. वित्तीय सलाहकार, खादी और ग्रामोद्योग आयोग : सदस्य

3. निदेशक (विपणन), खादी और ग्रामोद्योग आयोग : सदस्य
4. मुख्य महाप्रबंधक, एस.बी.आई : सदस्य
बैंक का प्रतिनिधि, एस.बी.आई
5.मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड : सदस्य
नाबार्ड का प्रतिनिधि
6. दो तकनीकी एजेंसियों के प्रतिनिधि : सदस्य
7. कार्यान्वयन एजेंसी का प्रतिनिधि : सदस्य
8. निदेशक (स्फूर्ति), खादी ग्रामोद्योग आयोग : सदस्य/संयोजक

i) पी.एस.सी. तकनीकी एजेंन्सी द्वारा प्रस्तुत किए गए डीएसआर/पीपीआर तथा राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति (एसएलएससी) के सिफ़ारिशों के आधार पर योजना संचालन समिति (एसएससी) के समक्ष रखने हेतु प्रस्ताव की संस्तुति करेगा।

ii) डीएसआर/पीपीआर आय, करीगरों की जीविका स्तर (दिनों की संख्या, कार्य घंटों की संख्या), प्रस्तावित अस्थायी सहायता, प्रस्तावित कार्यान्वयन रुपरेखा इत्यादि पर आधारभूत जानकारी सहित प्रस्तावित प्रोजेक्ट की प्रमुख विशेषताओं को व्यापक तौर पर कवर करना चाहिए।

iii) अनुमोदन की तिथि से मात्र 6 माह की अवधि के लिए ऐसा नितिगत अनुमोदन वैध होगा और उसके पहले यह अपेक्षा की जाती है कि प्रोजेक्ट अंतिम अनुमोदन हेतु विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) के साथ तैयार रहेगा।

iv) यदि प्रोजेक्ट को अंतिम अनुमोदन प्राप्त नही होया है, तो 6 माह के अंदर नितिगत अनुमोदन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, जब तक इसे विशेष तौर पर पीएससी/एसएससी द्वारा बढ़ाया नहीं जाता है।

चरण- III: पीएससी/एसएससी से नितिगत अनुमोदनः-

i) पीएससी/एसएससी से नितिगत अनुमोदन प्राप्त होने पर, निदेशक (स्फूर्ति) उसे राज्य/ मंडलीय निदेशक को संप्रेषित करेंगे, जिसमें राज्य एवं मंडलीय निदेशक को निर्धारित किए गए अनुसार एक समय सीमा के साथ पैनल में शामिल तकनीकी एजेंसी को तुरंत डीपीआर की तैयारी का कार्य सौंपने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

ii) तकनीकी एजेंसी से 60 से 75 दिनों के अंदर डीपीआर प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। सबन्धित राज्य/ मंडलीय निदेशक समय शेड्यूल का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा कार्य पूरा करने हेतु तकनीकी एजेंसी को सहायता प्रदान करने के लिए संबधित आई.ए को सुनिश्चित करेंगे।

iii) डीपीआर की प्राप्ति पर राज्य/मंडलीय निदेशक एक सप्ताह के अंदर अपने विचार/टिप्पणी, स्पष्ट सिफ़ारिश तथा चेक लिस्ट के साथ स्फूर्ति निदेशालय को डीपीआर भेजेंगे।

चरणः- IV क्लस्टर का अंतिम अनुमोदनः

निदेशक (स्फूर्ति) आयोग में सक्षम प्राधिकारी/पीएससी के समक्ष डीपीआर रखेंगे और उसके पश्चात उसे निम्नलिखित शर्तो के पूरा करने पर अंतिम अनुमोदन प्रदान करने हेतु योजना संचालन समिति के समक्ष रखा जाएगा:

i. कार्यान्वयन एजेंन्सी की पहचान करने के साथ ही विशेष प्रयोजन अभिकरण (एसपीवी) का गठन तथा पंजीकरण किया जाना चाहिए, क्योंकि यह अनिवार्य आवश्यकता है।
ii. लागत अनुमान एवं टाइमलाइन के साथ इंटर्वेंशन के विशेष विवरण के साथ तथा सेक्शन/चैप्टर दर्शाने वाले मानक टेम्पलेट के अनुसार विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना। (दिशानिर्देश का अनुलग्नक -5)।
iii. कार्यान्वयन एजेंसी तथा सदस्यों के बीच शेयर होल्डर समझौता तथा अन्य संबन्धित समझौतों का निष्पादन करना; तथा
iv. कार्यान्वयन एजेंसी/एसपीवी के नाम पर पंजीकृत सेल या लीज डीड के अनुसार कार्यान्वयन एजेंनसी द्वारा सामान्य सुविधा के निर्माण हेतु अपेक्षित भूमि की व्यवस्था करना ।
v. डेडिकेटेड बैंक खाता खोलना।

चरण-V निधि जारी करनाः

एस.एस.सी से अनुमोदन प्राप्त होने पर, कार्यान्वयन हेतु राज्य/ मंडलीय कार्यालयों के माध्यम से निधि की पहली किस्त जारी की जाएगी।

गतिविधियों को पूरा करने के लिए फ्लोचार्ट तथा टाइमलाईनः

क्लस्टर के लिए प्रस्ताव मंगवाने से शुरू करके प्रस्ताव की स्वीकृति/ निधि जारी होने तक शामिल सम्पूर्ण चरण/ प्रक्रिया हेतु फ्लोचार्ट अनुलग्नक-III के तौर पर संलग्न है तथा गतिविधियों की पूर्णता हेतु टाइमलाईन भी इसके साथ सुलभ संदर्भ हेतु अनुलग्नक -IV के तौर पर संलग्न है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संलग्नक: i) टेम्पलेट-I (ए) एवं I (बी)

ii) टेम्पलेट-II

iii) पैनल में शामिल एजेंसियों की सूची (अनुलग्नक-I)

iv) चेक लिस्ट (अनुलग्नक-II)

v) शामिल चरणो एवं प्रक्रियाओं का फ़्लो चार्ट (अनुलग्नक-III)

vi) गतिविधि की पूर्णता हेतु टाइमलाइन (अनुलग्नक-IV)

प्रति,

1. आंचलिक उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी
2. सभी राज्य/मंडलीय निदेशक/प्रभारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग
3. सभी तकनीकी एजेंसियां

प्रतिलिपि:

1. विशेष कार्याधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकोष्ठ, केवीआईसी, मुंबई।
2. विशेष कार्याधिकारी, वित्तीय सलाहकार प्रकोष्ठ, केवीआईसी, मुंबई।
3. मुख्य सतर्कता अधिकारी, केवीआईसी, मुंबई।
4. सभी कार्यालय प्रमुख, केवीआईसी, मुंबई।
5. निदेशक (प्रचार), केवीआईसी, मुंबई को जागृति के आगामी अंक में प्रकाशित करने तथा मीडिया एवं पी. आर. प्रकोष्ठ हेतु दो प्रतियों में ।
6. शिकायत अधिकारी, केवीआईसी, मुंबई।
7. जन संपर्क अधिकारी, केवीआईसी, मुंबई।
8. निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

, % ifj;kstuk dk lkj i=

,-1	DyLVj dh Js.kh	□ jsX;wyj □ estj

,-2	DyLVj dk uke	
,-3	LFkku	jkT; ..... ftyk ..... CykWd---------- ----- xzke ....
,-4	m|ksx	□ [kknh □ xzkeks|ksx..... (mYys[k djsa)
,-5	orZeku mRikn lwph	

,-6	dk;kZUo;h vfHkdj.k dk uke	

,-7	ifj;kstuk dk mn~ns';	
,-8	fpfUgr eq[; dfe;ka	

,-9	izLrkfor baVjosa'ku				
	gkMZ baVjosa'ku	d½ gkMZ baVjosa'ku ¼u;k½			
		v/kkslajpuk lqfo/kk	fufeZr {ks=	e'khujh@ miLdj	ykxr
		lh,Qlh@vkj,ech@foi .ku v/kkslajpuk			
		[k½ pj[kk@dj?kk@vkStkj ds izfrLFkkiu@mUu;u			
		pj[kk@dj?kk@vkStkj ds izfrLFkkiu@ mUu;u	ykHkkfFkZ;ksa dh al[;k	bdkbZ ykxr	dqy ykxr
		x½ vU;			
	lkW¶V baVjosa'ku	baVjosa'ku	izLrkfor dk;Z	ykHkkfFkZ;ksa dh al[;k	ykxr
		d½ dkS'ky izf'k{k.k			

		[k½ {kerk fuekZ.k			
		x½ foi.ku lao/kZu			
		?k½ vU;			

,-10	dqy ifj;kstuk ykxr	
,-11	foLr`r ifj;kstuk ykxr ¼dksj LQwfrZ½	
,-12	foRr ds lzksr	
,-13	ifj;kstuk pj.k	

,-14	iz;klksa ds vfHklj.k gsrq ;kstuk ,oa ;kstuk,a	

,-15	c<+h gqbZ ifj;kstuk ykxr ,oa foRr ds lzksr	

,-16	ifj;kstuk dk;kZUo;u <kapk@izLrkfor ,lihoh <kapk	□ D;k dk;kZUo;h vfHkdj.k dks ,lihoh ekuk tk ldrk gS---------- ¼fooj.k nsa½ □ D;k ,lihoh dks vyx ls iathd`r fd;k tk jgk gS] ;fn gak] rks izLrkfor ,lihoh <kpk ds lkFk bldk fooj.k layXu djsa %
,-17	izeq[k izHkko	

ch % dk;kZUo;h vfHkdj.k dk fooj.k

I	laLFkkxr <kpk@iathdj.k fooj.k	
ch-1	fof/kd fLFkfr	□ dsanzh;@jkT; ljdkj laLFkk □ lkslk;Vh ¼lkslk;Vh iathdj.k vf/kfu;e] 1860½ □ lgdkjh lfefr ¼mfpr lafo/kku ds rgr½ □ VªLV ds :i esa iathd`r □ izfr"Bku@lk>snkj □ daiuh vf/kfu;e] 1956 ds rgr iathd`r ○ izkbZosV fyfeVsM daiuh ○ ifCyd fyfeVsM daiuh ○ /kkjk 8 ds varxZr daiuh ○ /kkjk 581lh ds rgr mRiknd daiuh □ vU; ¼mYys[k djsa½
ch-2	LFkkiuk@iathdj.k fnukad	LFkkiuk izek.ki= layXu djsa
ch-3	iathd`r irk	
ch-4	dk;kZy; irk@LFkku	
ch-5	vk;ksx ls lac)rk	gkj@ugha ;fn gka] izek.ki= la[;k _____ izek.ki= dh oS/krk _____

II	'kkldh; <akpk						
ch-6	dk;Zdkjh cksMZ@U;kl @'kkldh; fudk; @izca/ku lfefr ,oa lnL;ksa dh i`"BHkwfe	#	lnL; dk uke	inuke	i`"BHkwfe @fooj.k	laidZ u-	bZ&esy
		□ vuqiyC/k					
ch-7	;fn]dk;kZUo;h fHkdj.k daiuh vf/kfu;e ds rgr iathd`r gks] rks	#	lnL; dk uke	i`"BHkwfe @fooj.k		'ks;j gksfYMax ¼izfr'kr½	

	'ks;j gksfYMax dh izfØ;k crk,a				
		□ vuqiyC/k			

III	**ifjpkyuxr fooj.k**	
ch-8	izeq[k mn~ns';&fotu] fe'ku] laxBu dk mn~ns';	
ch-9	dk;Z ds fo'ks"k {ks= D;k D;k gS	□ _____ □ _____ □ _____ □ _____ □ _____ □ _____
ch-10	dk;kZUo;h vfHkdj.k }kjk dk;kZfUor dh tk jgh eq[; ifj;kstuk,a@dk;Z iznku djsaA ifj;kstuk {ks=] vkdkj vkSj vof/k lfgr laf{kIr fooj.k ¼izLrkfor ifj;kstuk {ks=@lsDVj esa fo'ks"k vuqHko dk mYys[k djsa½	
ch-11	,lksfl,'ku dh izd`fr ds vk/kkj ij fooj.k lfgr ifj;kstuk ds dk;kZUo;u ls lacaf/kr eq[; xzkgd@nkunkrkvksa dk mYys[k djasA	
ch-12	eq[; lk>snkjh@xBca/ku dk mYys[k djsa ¼;fn gks ½	

IV	**izca/kdh; fooj.k**	
ch-13	ofj"B izca/ku dkfeZdksa ds laf{kIr fooj.k lfgr eq[; dkfeZd ¼O;kolkf;d ,oa vU;½ dh i`"BHkwfe	

V	**foRrh; fLFkfr**		
ch-14	laxBu dh eq[; foRrh; fLFkfr ¼foxr rhu o"kksZa ds ys[kkijhf{kr foRrh; fooj.k dh izfr	vpy ifjlaifRr	
		orZeku ifjlaifRr	
		orZeku ns;rk,a	

	layXu djsa½	foxr rhu o"kksZa dh jktLo izo`fRr	
		foxr rhu o"kksZa dk ykHk@gkfu	
		vU;	

VI	**cSad [kkrs dk fooj.k**	
ch-15	cSad dk uke	
ch-16	'kk[kk dk uke	
ch-17	cSad [kkrk la[;k	

VII	**laidZ fooj.k**	
ch-18	laidZ O;fDr dk uke	
ch-19	laidZ O;fDr dk inuke	
ch-20	i=kpkj dk irk	
ch-21	laidZ uacj	
ch-22	bZ&esy irk	

lh - izkjafHkd ifj;kstuk fjiksVZ ¼ihihvkj½ gsrq izk:i

ihihvkj esa izeq[k [kaMksa@v/;k;ksa dh lkadsfrd lwph fuEukuqlkj gS%

1- DyLVj izksQkby@DyLVj fooj.k
2- DyLVj ewY; J`a[kyk eSfiax
3- cktkj ewY;kadu ,oa ekax fo'ys"k.k
4- LoksV ,oa vko';drk varj fo'ys"k.k
5- dk;kZUo;h vfHkdj.k dh izksQkby
6- ifj;kstuk ifjdYiuk ,oa dk;Zuhfr lajpuk
7- ifj;kstuk baVjosa'ku ¼dksj LQwfrZ½
8- ifj;kstuk ykxr ,oa foRr ds lzksr ¼dksj LQwfrZ½
9- igyksa ds vfHklj.k gsrq ;kstuk
10- c<+h gqbZ ifj;kstuk ykxr ,oa foRr lzksr
11- ifj;kstuk dh le;&lhek
12- vLFkk;h O;kikj ;kstuk
13- izLrkfor dk;kZUo;u lajpuk
14- visf{kr izHkko